FORM-I (for linear projects) Government of H.P. Office of the District Collector ****

No. SML-SR(57)/2014

Dated:

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0-63-78 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Officer, M.C, Rampur Bsr. for construction of Proposed Ambulance Road to Ward No. 1 Kandi & Dugiriuni (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Rampur Forest Division in Tehsil Rampur.

It is further certified that:-

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-63-78 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl: As above

(Full name and official seal of the District Collector

Shimla District (H.P.

SHIMLA *

DHHEXURE - I

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT SHIMLA (H.P.)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dinesh Malhotra, I.A.S., Deputy Commissioner, Shimla on 12-03-2014 at 11 AM at Shimla in which the application claiming rights in UPF Padam Nagar area measuring 0-63-78 Hect for the construction of Ambulance Road Kandi & Dugiriuni of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of Rampur Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District Level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:

Dated:

Deputy Commissioner-cum- Chairman
District Level Committee

Gremma

AMMEXURE - 11

OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER (C), RAMPUR BUSHAHR, DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH.

Proceedings of the meeting of the Sub-Divisional Level Committee constituted under Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Rampur Sub-Division constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship of Mr. Dalip Negi, HAS, Sub-Divisional Officer (C), Rampur Bushahr, Distt. Shimla, H.P. on 4.02.2014 at 11:00 AM at Rampur in which the application(s) claiming rights in UPF Padam Nagar area measuring 0-63-78 hect. for construction of Ambulance Road Kandi & Dugiriuni of forest land under FRA, 2006 of the following applicant(s) duly processed and recommended by the Forest Right Committee of Muncipal Council Rampur were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the following decisions were taken on each application:-

Name of Applicant

Decision (Recommended/not Recommended).

Recommended.

Place: Rampur Bushahr.

Dated: 4.02.2014.

SDO (Civil)-cum-Chairman, Sub-Division Level Committee, Rampur Bushahr, Distt. Shimla, H.P.

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति	
ग्राम सभा / नगर परिषद	TINKS
प्रतिलिपि प्रस्ताव	

प्रस्ताव संख्या 301)2

दिनांक 15/1/2014

वन अधिकार समिति, ग्राम सभा/नगर परिषद राजपुर बुर्गेहर की बैठक आज दिनांक 15 1 2019 को प-100 800 बजे, स्थान जिस्दे की अध्यक्षता में की गई जिसमें.

बिठक आज दिनांक 15 1 2019 को प-100 800 बजे, स्थान जिस्दे की अध्यक्षता में की गई जिसमें.

गांव/गावों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिहिल्ल प्रियम्ग्या जंगल/वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन अधिकारों के दावे हेतू प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें जार निर्माण के लिए 00-63-78 हैक्टेयर वन के उपयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित है।

स्थान रिभापर दिनांक १८/१ २०१५

नगर परिषद / ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी नगर परिषद / ग्राम पंचायत Municipal Counci

^{**} प्रोजैक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है ।

	त/नगर परिषद राजपुर	कारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
कायालय ग्राम पंचाय	त/नगर पारषद ८०१९८	3462
विकास खण्ड	मपुर जिला कि	<i>[त.৫2</i>] (हिं०प्र०)
	प्रतिलिपि प्रस्ताव	
अध्यक्षता श्री/श्रीमति द्वीप्रक सु	3	दिनांक. 15/1/2014
गणपूर्ति 10 / 12-	***************************************	प्रस्ताव संख्या 30/12
विषय: अहरी विकास हिल्	उ० विभाग / संस्था र	को मार्ड न्ग्र मार्थी य क्रीहियां
की अशन रोड में पुस्तावित	ने स्वलंप स्डिन	के निमार्ण हेत के छिल
प्रश्न-ग्रार जंगल	['] वन क्षेत्र में प्रस्तावित <u></u>	9-63-78 Bare as
भूमि के जपयोग की मंजूरी के लिए	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने	हेत् ।
ग्राम पंचायत/नगर परिषद दिनांक	राभपुर सुराहर	की बैठक आज
दिनांक 15/12014 क	it 4-10 PM BU	ने स्थान निग्र धरिष्ठ
राभापर में की गई ह	जेसमें बाहरी विकास	TOR EL
विभाग / संस्था को निर्ध निर्ध कि	में वा इक्षी प्रवारी की मनम	Are B VENIA
रेष्ट्रचेत्र सम्	* Outre > 5/61	1 122-121
जंगन / तन थेन में मानकित 🕒 🐧	- 69-38	77-1701
जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित	<u>्रे ०५ ५८ हिक्ट</u>	यर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी
के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी क	रन पर चचा की गई।	
		*
सभी ग्रामवासियों ने संबधिंत	वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेत	र उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह
समझने के बाद सर्व सम्मति से यह	निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत	्रायार परिषद को जारोक्त गाउँ
के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई	आपनि नहीं है ।	र गरिषय पर उपरापरा प्रस्ताव
and and	VII-101 6 1	
		w 18
ग्राम सभा / नगर परिषद क	ी इस बैठक में अनुसूचित ज	निजाति और अन्य परम्परागत वन
नेवासी (वन अधिकारों की मान्यता) र	अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन	न अधिकारों के दावों के निपटारे पर
नेवासी (वन अधिकारों की मान्यता) र वर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से	अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन यह पारित किया गया कि जा	न अधिकारों के दावों के निपटारे पर
नेवासी (वन अधिकारों की मान्यता) र वर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से	अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन यह पारित किया गया कि जा	न अधिकारों के दावों के निपटारे पर
नेवासी (वन अधिकारों की मान्यता) र वर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से	अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन यह पारित किया गया कि जा	न अधिकारों के दावों के निपटारे पर
नेवासी (वन अधिकारों की मान्यता) र वर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से	अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन यह पारित किया गया कि जा	न अधिकारों के दावों के निपटारे पर
नेवासी (वन अधिकारों की मान्यता) र वर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से	अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन यह पारित किया गया कि जा	न अधिकारों के दावों के निपटारे पर
नेवासी (वन अधिकारों की मान्यता) र वर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से	अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन यह पारित किया गया कि जा	न अधिकारों के दावों के निपटारे पर
नेवासी (वन अधिकारों की मान्यता) र	अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन यह पारित किया गया कि जा	न अधिकारों के दावों के निपटारे पर
नेवासी (वन अधिकारों की मान्यता) र वर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से अधिकारों के दावों के निपटारे सम्ब मस्तावित ७०-63-78 हैं बिट में पुस्तावित रेबुलॉन् गरिषद रामपुर बुबाहर	अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन्यह पारित किया गया कि उप मिस्रत सारी प्रक्रिया पुमरी की स्टेयर वन भूमि को कि न्य कि स्टियर वन भूमि को कि न्य उप सिंग्य की सहमति दी जाती है।	न अधिकारों के दावों के निपटारे पर परोक्त अधिनियम के अनतर्गत वन जा रही है/कर ली गई है तथा कार्जी क डिंग स्विकार के अन्त्रम् प्रयोग के लिए ग्राम सभा/नगर
नेवासी (वन अधिकारों की मान्यता) र वर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से	अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन्यह पारित किया गया कि उप मिस्रत सारी प्रक्रिया पुमरी की स्टेयर वन भूमि को कि न्य कि स्टियर वन भूमि को कि न्य उप सिंग्य की सहमति दी जाती है।	न अधिकारों के दावों के निपटारे पर